प्रेषक,

जिलाधिकारी,

मीरजापुर

सेवा में,

कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल),

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली–110001

पत्र सं0 : 8157 / एम0एम0सी0–30खनिज / 2023–24 दिनांक : 17/02/2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521 / 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 08.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521 / 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 व 03.07.2023 के अनुपालन में कार्यालय पत्र सं0–5535 / एम0एम0सी0–30 खनिज / 2022–23 दिनांक 19.08.2023 **(संलग्नक–1)** द्वारा शासन स्तर से विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 86–01005(099) / 2023 दिनांक 06.02.2024 द्वारा ओ0ए0 संख्या–521 / 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के क्रम में जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है **(संलग्नक–2)** ।

शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.02.2024 के क्रम में कार्यालय आदेश सं0–8039 / एम0एम0सी0–30 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जनपद स्तर पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है **(संलग्नक–3)**। समिति द्वारा आख्या प्राप्त होने पर मा0 अधिकरण के समक्ष अविलम्ब आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

.....2

खान अधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांक 05.02.2024 (संलग्नक–4) में उल्लिखित है कि ''जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के 500 मीटर परिधि अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा संचालित नही है। ग्राम भगौतीदेई क्षेत्र स्थित जरगों बांध की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खनन पट्टाधारकों को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, CTE/CTO की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त क्षेत्रों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत सतत् रूप में निगरानी रखी जा रही है।''

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वस्तु स्थिति से मा0 अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित वाद में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

सलंग्नक-1

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्र सं0 :5595/एम0एम0सी0–30खनिज/2022–23 दिनांक : 19/09/2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 व 03.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 व 03.07.2023 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

.......5. Recommendations for imposition of environmental compensation on all the project proponents has been made. The Joint Committee has also made its recommendations in the report which are reproduced as under:

Committee Recommendations:

"5.1 Out of 40 leases, few leases were found operational approx 500 to 600 meter, close to exiting jargo dam (constructed in 1958, hold 3 lakhs cusec water and only source to irrigate around 1000 acres' agricultural land), need to be re-evaluated in light of continuous blasting activity in area.

5.2 State mining department have to obtained "No Objection Certificate" from state irrigation department before grant of lease near Jargo Dam.

5.3 State Government shall constitute expert committee (Dam expert, Blasting expert etc) to assess the impact of mining and blasting activity (Blasting impact study) on the Jargo Dam and its stability, based on the finding state government may declare buffer zone, where mining etc will be completely prohibited.

विषयांकित ओ0ए0 सं0 521/2022 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 03.07.2023 को भी निम्न आदेश पारित किये गये है :–

.........7. The State of Uttar Pradesh, its instrumentalities and the Statutory Authorities are under constitutional obligation to protect and improve the environment. The report submitted by the Joint Committee to this Tribunal pointed out serious violations of the environmental norms as mentioned in detail in the Report. The Joint Committee also recommended review of some of the mining leases in view of the risk to Jargo Dam involved due to blasting operations in the mines in the vicinity thereof. No remedial measures have been taken in accordance with the recommendations contained in the Joint Committee Report. No reasons have been furnished as to why reply/response could not be filed by the respondents no. 1 and 2 within the time of more than two months granted by this Tribunal for filing of the same. It is also difficult to understand the reasons as to why report could not be prepared and submitted by the Joint Committee in respect of Stone crushers within the period of two weeks after the inspection has been done on 19.06.2023.

अतः मा0 अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.04.2023 एवं 03.07.2023 के अनुपालन हेतु शासन स्तर से विशेषज्ञ समिति के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिव्या मित्तल)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर

पत्र सं0 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर

6234

File No.86-01005(099)/2/2023-

187926/2024

सलंग्नक-2

19

ADM (F/R) | म० ...

07/02/24

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक06/02/2024

कार्यालय ज्ञाप

ओ०ए० संख्या-521 वर्ष 2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के क्रम में जनपद-मीरजापुर के Jargo Dam के आस-पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam के स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी , मीरजापुर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक , मीरजापुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , मीरजापुर बाँध विशेषज्ञ के रूप में	सदस्य
4	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी , मीरजापुर	सदस्य सचिव
5	खान सुरक्षा महानिदेशालय , धनबाद द्वारा नामित सदस्य Blasting Expert के रूप में	सदस्य
6	CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची , झारखण्ड के द्वारा नामित अधिकारी , Blasting Expert	सदस्य

Digitally Signed by विजय कुमार
Date: 06-02-2024 16:52:48
Reason: Approved

(विजय कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मण्डलायुक्त, मीरजापुर।

(2) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1485/एम0-

एन0जी0टीबाद/2023, दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में।

(3) जिलाधिकारी, मीरजापुर

(4) पुलिस अधीक्षक , मीरजापुर ।

(5) अधिशासी अभियंता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , मीरजापुर ।

(6) ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी , मीरजापुर।

(7) खान सुरक्षा महानिदेशालय , धनबाद।

(8) CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची , झारखण्ड

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

संलग्नक-3

आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 86–01005(099)/2023 दिनांक 06.02.2024 द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के क्रम में जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, मीरजापुर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मीरजापुर बांध विशेषज्ञ के रूप में	सदस्य
4	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, मीरजापुर	सदस्य सचिव
5	खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद द्वारा नामित सदस्य Blasting Expert के रूप में	सदस्य
6	CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची, झारखण्ड के द्वारा नामित अधिकारी, Blasting Expert	सदस्य

उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुक्रम में जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता हैः–

1	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मीरजापुर	अध्यक्ष
2	अपर पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर	सदस्य
3	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाइ, चुनार खण्ड, मीरजापुर	सदस्य
4	खान अधिकारी, मीरजापुर	सदस्य सचिव
5	खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद द्वारा नामित सदस्य Blasting Expert के रूप में	सदस्य
6	CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची, झारखण्ड के द्वारा नामित अधिकारी, Blasting Expert	सदस्य

अतः उक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय जाँच कर संयुक्त निरीक्षण आख्या एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8039 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांकः 12/02/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को सूचनार्थ।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मीरजापुर।
6. अपर पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाइ, चुनार खण्ड, मीरजापुर।
8. खान अधिकारी, मीरजापुर।
9. खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद को इस आशय के साथ कि वह प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।
10. CMPDIL (Central Mine Planning & Design Institute Limited) राँची, झारखण्ड को इस आशय के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

संलग्नक-4

जॉच आख्या

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

महोदया,

कृपया अवगत कराना है मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के समादर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मीरजापुर के **Jargo Dam** के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों की जॉच की गयी। आख्या निम्नवत् है :–

जॉच में पाया गया कि जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के 500 मीटर परिधि अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा संचालित नही है। ग्राम भगौतीदेई क्षेत्र स्थित जरगों बांध की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खनन पट्टाधारकों को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, CTE/CTO की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त क्षेत्रों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत सतत् रूप में निगरानी रखी जा रही है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

05/02/24

खान अधिकारी,
मीरजापुर